फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

उम्मेद सिंह बनाम तरूण कुमार

किस्म मुकदमा .....225 आर.टी.एक्ट..... मुकदमा नंबर.....62/.....सन.....2022.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
11/08/2022	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलेक्टर जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 109/2021 बअनवान तरूण कुमार बनाम भीमाराम में पारित आदेश दिनांक 23.03.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 तरूण कुमार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध में रेस्पोडेण्ट संख्या 02 भीमाराम पुत्र पूराराम व रेस्पोडेण्ट संख्या 03 सुआ देवी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा, खातेदारी घोषित कराने का वाद प्रस्तुत किया, साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें वादी तरूण कुमार द्वारा उसके पिता भीमाराम के हिस्से में दर्ज भूमि में से वादी के हक हिस्से की भूमि की घोषणा का वाद दायर किया है, जिसमें अन्य सहखातेदारो के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई दादरसी नही चाही गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2021 में भी भीमाराम के हक हिस्से तक मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षों को पाबंद किया है लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित आराजी के समस्त खातेदार को उक्त स्थगन आदेश से पाबंद किया जा रहा है। जिसे स्पष्ट करने हेतु अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 3ए व 4 सी. पी. सी. में पेश कर अपीलाण्ट के हद तक स्थगन आदेश अपास्त करने हेतु पेश किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर स्थगन आदेश को आगामी तारीख पेशी तक बढाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की आड में अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजी के उपयोग–उपभोग करने में वंचित हो रहे है। साथ ही अपने हिस्से की आराजी को उपजाउ व काश्त करने हेतु ऋण प्राप्त करना सम्भव नहीं है। जिससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाक 20.09.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित किया है कि विवादित आराजी के खसरानम्बरान की भूमि के मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति भीमाराम के हक–हिस्से तक बनाये रखने हेतु	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

उभयपक्षों को अंतरिम स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है। अत अंतरिम व्यादेश इस अमर का सादिर किया जाता है कि सहायक कलेक्टर जालोर द्वारा राजस्व विविध संख्या 109/2021 बउनवान तरूण कुमार बनाम भीमाराम में पारित आदेश दिनांक 20.09.2021 को इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है कि विवादित आराजी के खसरा नम्बरान् की भूमि में भीमाराम के हक–हिस्से तक मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। शेष पक्षकारो के हक–हिस्से तक सहायक कलेक्टर जालोर द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र 109/2021 बउनवान तरूण कुमार बनाम भीमाराम में पारित आदेश दिनांक 20.09.2021 प्रभावी नहीं रहेगा। तद्नुसार सहायक कलेक्टर जालोर को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 109/2021 बअनवान तरूण कुमार बनाम भीमाराम के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3(क) की पालना करते हुए उभयपक्षों को सुनकर 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर